अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन/अध्यक्ष, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड की अध्यक्षता में दिनॉक 18 मार्च, 2024 को आहूत उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड की प्रबन्ध कारिणी की 44वीं बैठक का कार्यवृत्तः--

उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड के प्रबन्ध कारिणी की 44वीं बैठक अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन/अध्यक्ष, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड की अध्यक्षता में देवेन्द्र शास्त्री सभाकक्ष, देहरादून में दिनॉक 18 मार्च, 2024 को आयोजित की गयी, जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया:--

1. श्री आनन्द वर्द्धन, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन-- अध्यक्ष
2. श्री विनोद कुमार सुमन, सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन-- सदस्य
3. श्रीमती कहकसां नसीम, अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन-- सदस्य
4. डा0 अजीत सिंह नैन, निदेशक शोध पन्तनगर विश्वविद्यालय-- सदस्य
5. श्री महेन्द्रपाल, निदेशक, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड-- सदस्य/सचिव
6. श्री रोहित बिष्ट, सहायक निदेशक, उद्यान विभाग, उत्तराखण्ड-- सदस्य
7. श्री सुमन्ता शर्मा, पी0पी0पी0 सैल, देहरादून-- विशेष आमन्त्री
8. श्री डेसमण्ड वर्कबैक, चम्पावत-- विशेष आमन्त्री
9. श्री करीम, प्रतिनिधि अंशुल अग्रवाल एवं कम्पनी-- विशेष आमन्त्री
10. डा0 भूपेन ढेका, चाय विशेषज्ञ -- चाय बोर्ड
11. श्री अनिल कुमार खोलिया, वित्त अधिकारी-- चाय बोर्ड

निदेशक/सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड द्वारा प्रबन्ध कारिणी की 44वीं बैठक में उपस्थित अध्यक्ष महोदय एवं समस्त सदस्यगणों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदय से बैठक प्रारम्भ करने की अनुमति चाही गयी। अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक प्रारम्भ करने की अनुमति देते हुए बोर्ड का बिन्दुवार एजेण्डा प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

एजेण्डा बिन्दुः 1 गत बैठक (02 अगस्त, 2023) के कार्यवृत्त की पुष्टि।

निदेशक/सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि 02 अगस्त, 2023 को सम्पन्न प्रबन्ध कारिणी की बैठक का कार्यवृत्त समस्त सदस्यों को कार्यालय पत्रांक 441/1-6(43वी)प्र.का.बै.2023/दिनांक 18 सितम्बर 2023 से प्रेषित किया गया। कार्यवृत्त पर किसी भी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

प्रबन्ध कारिणी द्वारा कार्यवृत्त पर विचार-विमर्श करने के उपरान्त कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

एजेण्डा बिन्दुः 2 गत बैठक में लिये गये निर्णयों पर बोर्ड द्वारा की गयी कार्यवाही पर प्रबन्ध कारिणी द्वारा दिये गये निर्देश।

निदेशक/सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि गत बैठक (08 अगस्त, 2023) में प्रबन्ध कारिणी द्वारा जो निर्णय लिये गये थे, उन पर बोर्ड द्वारा कार्यवाही की जा चुकी है की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है एवं कुछ एजेण्डा पर प्रबन्ध कारिणी के अनुमोदन की आवश्यकता है, को पुनः अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया।

एजेण्डा बिन्दुः 3 उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड द्वारा संचालित स्वीकृत चाय विकास परियोजना, स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान, मनरेगा की भौतिक, वित्तीय प्रगति अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

निदेशक/सदस्य सचिव, टी बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 की माह अप्रैल, 2023 से जनवरी, 2024 तक की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति विवरण प्रबन्ध कारिणी के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा बोर्ड की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का अवलोकन करने के उपरान्त निर्देश दिये गये कि बोर्ड शासन पर निर्भरता कम करते हुए बोर्ड अपनी आय में वृद्धि के हर सम्भव प्रयास करें।

एजेण्डा बिन्दुः 4 नाबार्ड के अन्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई कोष (MIF) के प्रगति के सबन्ध में।

निदेशक/ सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि सूक्ष्म सिंचाई कोष के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा चाय बागानों में पानी की उपलब्धता के आधार पर 223 हैक्टेयर चाय बागानों में सिंचाई व्यवस्था की जानी प्रस्तावित है, शासनादेश संख्या 371/XII-4/22/01(01)/2020E-37013 दिनांक 24 जुलाई 2023 के अनुपालन में बोर्ड द्वारा अब तक 60.30 हैक्टेयर में कार्य पूर्ण कर रू0 79.61 लाख के Drawal Application उपयोगिता प्रमाण पत्र नाबार्ड/शासन को प्रस्तुत किया जा चुका है।

प्रबन्ध कारिणी द्वारा विस्तृत जानकारी प्राप्त कर उक्त का अवलोकन करते हुए निर्देशित किया गया कि सिंचाई व्यवस्था हेतु चयनित 223.00 हैक्टेयर चाय बागानों में सिंचाई कार्य पूर्ण करने के प्रयास किये जाय।

एजेण्डा बिन्दुः 5 वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु प्रस्तावित बजट के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

निदेशक/सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड द्वारा पूर्व स्वीकृत चाय विकास परियोजना, स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान एवं मनरेगा का कार्य संचालन किया जा रहा है, बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्व स्वीकृत परियोजना व मनरेगा हेतु कुल धनराशि रू0 3642.50 लाख बजट प्राविधान किया गया है जिसके सापेक्ष शासन से रू0 2557.86 लाख की मॉग की गयी है। शेष धनराशि रू0 1084.64 लाख की प्रतिपूर्ति बोर्ड की आय से एवं मनरेगा से की जानी प्रस्तावित है एवं स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत कुल प्रस्तावित बजट रू0 558.81 लाख के सापेक्ष शासन से रू0 474.81 लाख की मॉग गयी है शेष धनराशि रू0 84.00 लाख की प्रतिपूर्ति प्रस्तावित है। जिस क्रम में शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में चाय विकास कार्यो के संचालन हेतु शासन स्तर से निम्नवत् बजट स्वीकृत किया गया है बोर्ड परियोजना हेतु 1873.25 लाख का बजट का प्राविधान किया गया है तथा स्पेशल कम्पोनेन्ट के अन्तर्गत 26.00 लाख का ही बजट प्राविधान किया गया जबकि स्पेशल कम्पोनेन्ट की धनराशि रू0 474.81 लाख की मांग की गयी थी के सापेक्ष उक्त धनराशि अत्यधिक न्यून है इसे पूर्ण करने हेतु मांग अनुपूरक बजट में करने एवं प्रस्तावित बजट वित्तीय वर्ष 2024-25 का प्रस्ताव प्रबन्ध कारिणी के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया।

प्रबन्ध कारिणी द्वारा विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के उपरान्त प्रस्तावित बजट वित्तीय वर्ष 2024–25 का अनुमोदन करते हुए स्पेशल कम्पोनेन्ट के अन्तर्गत प्रस्तावित बजट अत्यधिक न्यून होने पर अनुपूरक बजट के माध्यम से मॉग शासन को मॉग प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।

एजेण्डा बिन्दु: 6 वर्ष 2022–23 की वित्तीय बैलेन्स सीट को अनुमोदन कराने के सम्बन्ध में।

निदेशक/सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि प्रबन्ध कारिणी की 43वीं बैठक दिनांक 02 अगस्त 2023 में दिये गये निदेर्शो के अनुपालन मे वर्ष 2022–23 की वित्तीय बैलेन्स सीट पूर्ण कर ली गयी है तथा आडिटर द्वारा बैलेन्स सीट में दिये गये सुझावों के साथ–साथ बोर्ड का 12AA में पंजीकरण हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध कारिणी के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया।

प्रबन्ध कारिणी द्वारा वर्ष 2022–23 की वित्तीय बैलेन्स सीट का अनुमोदन करते हुए आडिटर द्वारा दिये गये सुझावों पर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।

एजेण्डा बिन्दु: 7 डा0 भूपेन ढेका, चाय विशेषज्ञ की सेवाओं को आउटसोर्स के माध्यम से दिनांक 12.02.2024 से आगामी ग्यारह माह हेतु बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

निदेशक/सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि डा0 भूपेन ढेका, को आगामी 11 माहों हेतु शासन के पत्र संख्या 19395/XIII-3/24/03(13)/2020 दिनांक 27 फरवरी 2024 के अनुपालन में दिनांक 01 मार्च 2024 से आगामी 11 माहों हेतु कार्यनियोजित कर लिया गया है का प्रस्ताव प्रबन्ध कारिणी के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया।

प्रबन्ध कारिणी द्वारा विस्तृत जानकारी प्राप्त प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।

एजेण्डा बिन्दु: 8 बोर्ड में कार्यरत नियमित कार्मिकों को 01 जनवरी 2023 एवं 01 जुलाई 2023 से बढ़े हुए मंहगाई भत्ता एवं वित्तीय वर्ष 2022–23 के बोनस भुगतान के सम्बन्ध में।

निदेशक/सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि शासन के औद्योगिक विकास अनुभाग–2 के पत्र संख्या 946/VIII-A-2/2023-233 (उद्योग)/2008 दिनांक 31 दिसम्बर 2023 एवं पत्र संख्या 125/VIII-A-2/2024/ई0– 29410/233(उद्योग)/2008 दिनांक 12 मार्च 2024 द्वारा सातवें पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे सार्वजनिक निकाय/उपक्रमों के कार्मिकों के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता दिनांक 1 जनवरी 2023 से 38 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत एवं दिनांक 01 जुलाई 2023 से 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 46 प्रतिशत अनुमन्य किया गया है। बोर्ड के 32 नियमित कामिकों को उक्त बढ़े हुए महगांई भत्ता देय होगा, जिस पर अनुमानित व्यय रू0 42,000.00 (रू0 बयालीस हजार मात्र) प्रतिमाह व्यय भार होगा एवं शासनादेश संख्या 168535/XXVII(7)/E-40215/2022 दिनांक 10 नवम्बर 2023 के तहत बोर्ड के 31 कार्मिकों को वित्तीय वर्ष 2022–23 का बोनस का भुगतान किया जाना है जिस पर रू0 2,14,148.00 (रू0 दो लाख चौदह हजार एक सौ अड़चालीस मात्र) का व्यय प्रस्तावित है। जिसका बजट प्रावधान वित्तीय वर्ष 2023–24 के वेतन मद में किया गया है। 01 जनवरी 2023 एवं 01 जुलाई 2023 से बढ़े हुए मंहगाई भत्ता एवं वित्तीय वर्ष 2022–23 के बोनस का भुगतान करने हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध कारिणी के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया।

प्रबन्ध कारिणी द्वारा विचार–विमर्श कर 32 कार्मिकों 01 जनवरी 2023 एवं 01 जुलाई 2023 से बढ़े हुए मंहगाई भत्ता एवं 31 कार्मिकों वित्तीय वर्ष 2022–23 के बोनस का भुगतान करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा बिन्दुः 9 मृत आश्रित श्रीमती सरिता अधिकारी को मृत आश्रित के रूप में कनिष्ठ सहायक (अधिसंख्यक) के पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में।

निदेशक / सदस्य सचिव, चाय विकास बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि बोर्ड में कार्यरत नियमित कार्मिक श्री जीवन सिंह अधिकारी, बोर्ड मुख्यालय में कनिष्ठ सहायक के पद पर थे जिनकी आकस्मिक मृत्यु दिनांक 04 जनवरी 2023 को होने के उपरान्त उनकी पत्नी श्रीमती सरिता अधिकारी द्वारा अपने नाबालिग बच्चों व अपने पारिवारिक स्थिति का हवाला देते हुए करूणामूलक आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन किया जिसका बोर्ड में पूर्व निहित व्यवस्थानुसार माह अक्टूबर 2023 में नियुक्ति की गयी है। का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया।

प्रबन्ध कारिणी द्वारा विचार–विमर्श कर श्रीमती सरिता अधिकारी को माह अक्टूबर 2023 से मृत आश्रित के रूप में कनिष्ठ सहायक (अधिसंख्यक) पद पर की गयी नियुक्ति का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा बिन्दुः 10 चाय बागान फील्ड कर्मचारियों से GPS MAP एप के माध्यम से बागानों की सूचना लिये जाने के सम्बन्ध में।

निदेशक / सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि चाय बागानों की वित्तीय स्थिति एवं बागानों को सुदृढ़ बनाने हेतु उत्तराखण्ड चाय बागान फील्ड कर्मचारियों से GPS MAP एप के माध्यम से बागानों की सूचना प्रतिदिन दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके माध्यम से उपस्थिति प्राप्त हो रही है को प्रबन्ध कारिणी के सम्मुख अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया।

प्रबन्ध कारिणी द्वारा विचार–विमर्श कर कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए अवलोकन कर अनुमोदित किया गया।

एजेण्डा बिन्दुः 11 उत्तरांचल टी कम्पनी कौसानी के प्रबन्ध निदेशक से कौसानी चाय फैक्ट्री के सम्बन्ध में 28 नवम्बर, 2023 को अपर सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक के सम्बन्ध में।

निदेशक / सदस्य सचिव, चाय विकास बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 28 नवम्बर 2023 को उत्तरांचल टी कम्पनी कौसानी के प्रबन्ध निदेशक से कौसानी चाय फैक्ट्री के सम्बन्ध में अपर सचिव कृषि एवं कृषक कल्याण महोदय की अध्यक्षता में बैठक की गयी जिसमें कोई भी समाधान न हो पाने के कारण अपर सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि जब तक समस्या का समाधान नही हो पाता तब तक फैक्ट्री का संचालन चाय विकास बोर्ड द्वारा किया जाय। एवं टी कम्पनी द्वारा उठाये गये बिन्दुओं के सम्बन्ध में आगामी प्रबन्ध परिषद की बैठक में प्रस्तुत करें जिस क्रम में उत्तरांचल टी कम्पनी द्वारा अपने पत्र के माध्यम से उठाये गये बिन्दुओं के आधार पर बोर्ड द्वारा निम्न प्रस्ताव प्रबन्ध कारिणी के संज्ञानार्थ / अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया:–

1–उत्तरांचल टी कम्पनी से रू0 28.53 लाख मय ब्याज सहित की वसूली हेतु पूर्व में जिलाधिकारी

बागेश्वर के माध्यम से आर0सी0 जारी की गयी थी उक्त को पुनः तामील करते हुए कौसानी चाय फैक्ट्री जिलाधिकारी बागेश्वर के माध्यम से बोर्ड को हस्तान्तरित की जा सकती है।

2–यदि टी कम्पनी द्वारा बोर्ड की अवशेष धनराशि का भुगतान कर दिया जाता है तो कम्पनी अपनी मशीनें व अन्य परिसम्पतियां अन्यत्र स्थानान्तरित कर सकती है।

3–अनुबन्ध की शर्तो के आधार पर फैक्ट्री का मूल्याकंन ह्रास दरों पर न कर बाजार मूल्य पर करने की अनुमति प्रबन्ध कारिणी/शासन से स्वीकृति प्राप्त होती है तो बोर्ड की अवशेष धनराशि रू0 28.53 लाख का समायोजन करते हुए पुनः बाजार मूल्य के आधार पर मूल्याकंन कर फैक्ट्री की मशीनें व अन्य परिसम्पतियां क्रय की जा सकती है।

प्रबन्ध कारिणी द्वारा विचार–विमर्श उपरान्त निर्देशित किया कि अपर सचिव कृषि एवं कृषक कल्याण की अध्यक्षता में सदस्य–अपर सचिव वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून, निदेशक, वित्त अधिकारी, चाय विकास बोर्ड, PPP सैल के प्रतिनिधि की एक कमेटी गठित कर सुझाव मन्तव्य आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

एजेण्डा बिन्दुः 12 जनपद–अल्मोड़ा के अन्तर्गत ब्लाक लमगड़ा के 250 कास्तकार, जनपद–नैनीताल के अन्तर्गत ब्लाक ओखलकाण्डा के 125 कास्तकार, जनपद–टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत ब्लाक भिलंगना के 70 कास्तकार के आवेदन के आधार पर मनरेगा के अन्तर्गत बागान विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।

निदेशक/सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद–अल्मोड़ा के अन्तर्गत ब्लाक लमगड़ा, जनपद–नैनीताल के अन्तर्गत ब्लाक ओखलकाण्डा एवं जनपद–टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत ब्लाक भिलंगना के आस–पास निवास करने वाले कास्तकारों द्वारा बन्दरों एवं सुअरों से परेशान होने एवं ग्रामीणों के पलायन को रोकने हेतु अपने निजी भूमि में चाय बागान लगाने हेतु प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया।

प्रबन्ध कारिणी द्वारा बोर्ड के नयी पॉलिसी एवं आय/व्यय को दृष्टिगत रखते हुए निर्देश दिये गये कि जब तक बोर्ड नयी पालिसी में कोई व्यवस्था नही आ जाती तब तक नये क्षेत्रों में चाय विकास का कार्य न किया जाय एवं निर्देशित किया गया कि बोर्ड द्वारा तैयार की गयी पालिसी को शीघ्र लागू करने हेतु पालिसी परीक्षण हेतु सचिव कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग, वित्त विभागव नियोजन विभाग को अवलोकित कराते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही की जाय।

एजेण्डा बिन्दुः 13 उत्तराखण्ड चाय विकारा बोर्ड के कार्मिकों को उत्तराखण्ड शासन, वित्त (वे0आ0–सा0नि0)अनुभाग–7 शासनादेश संख्या 18/XXVII(7)/18-50(14)/201 दिनांक 23 जनवरी, 2019 के अनुसार यात्रा भत्ता एवं स्थानान्तरण यात्रा भत्ता अनुमोदन के सम्बन्ध में।

निदेशक/सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा अपने कार्यालय ज्ञाप संख्या 18/XXVII(7)/18-50(14)/201 दिनांक 23 जनवरी, 2019 से वेतन समिति, उत्तराखण्ड के तृतीय प्रतिवेदन में की गई संस्तुति के आधार पर दिनांक 1

जनवरी 2019 से पुनरीक्षित यात्रा भत्तों के भुगतान की संस्तुति की गई है परन्तु बोर्ड के अन्तर्गत कार्यरत कार्मिकों को पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या 78/XXVII(7)/ 2009 दिनांक 01 मार्च 2009 के आधार पर ही किया जा रहा है। बोर्ड के कार्मिकों को शासनादेश संख्या 890/XVI-2/17/20(1)/2017 दिनांक 30 नवम्बर 2017 से प्राप्त स्वीकृति के क्रम में सातवें वेतनमान के आधार पर वेतन, भत्तों का भुगतान किया जा रहा है लेकिन यात्रा भत्तों का भुगतान नही किया रहा है। बोर्ड के ढांचा पुनर्गठन शासनादेश संख्या 1424 दिनांक 17 फरवरी 2017 के क्रम संख्या 02 में उल्लेखित है कि उक्त पदों के विरूद्ध नियमित रूप से अथवा प्रतिनियुक्ति पर तैनात पदधारकों को शासन द्वारा समय-समय पर अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते देय होगें के क्रम में माह जनवरी 2024 से बोर्ड कार्मिकों को वित्त विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या 18/XXVII(7)/18-50(14)/201 दिनांक 23 जनवरी, 2019 के आधार पर यात्रा भत्ता एवं स्थानान्तरण भत्ता भुगतान किये जाने का प्रस्ताव प्रबन्ध कारिणी के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया।

प्रबन्ध कारिणी द्वारा विचार-विमर्श कर वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा अपने कार्यालय ज्ञाप संख्या 18/XXVII(7)/18-50(14)/201 दिनांक 23 जनवरी, 2019 के आधार पर यात्रा भत्ता एवं स्थानान्तरण भत्ता भुगतान का प्रस्ताव पूर्व में प्रबन्ध परिषद में न रखने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निदेशक चाय विकास बोर्ड को पत्रावली का परीक्षण कर प्रस्ताव सचिव कृषि एवं कृषक कल्याण उत्तराखण्ड शासन को विचारार्थ प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

एजेण्डा बिन्दुः 14 उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड के कार्मिकों को उत्तराखण्ड शासन, वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7 शासनादेश संख्या-174877/XXVII(7)/E-42461/2022, देहरादून दिनांक 13 दिसम्बर 2023 के अनुसार वाहन भत्ते के संबन्ध में।

निदेशक/सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि बोर्ड द्वारा स्थापित चाय बागानों की परस्पर दूरी अधिक (20 से 40 की0मी0 तक) होने के कारण बागान निरीक्षण हेतु प्रबन्धक फील्ड सहायक एवं सुपरवाईजर स्तर के कार्मिकों को बोर्ड द्वारा विभागीय वाहन दिये गये है परन्तु कुछ कार्मिकों को विभागीय वाहन आवंटित नही हैं उनके द्वारा अपने निजी वाहनों से विभागीय कार्यो का निवर्हन किया जा रहा है जिसके व्यय निर्धारित सीमा तक बोर्ड द्वारा वहन किये जा रहे है। बोर्ड में कार्यरत कार्मिकों जिनके द्वारा विभागीय कार्यो हेतु निजी वाहनों से यात्रा की जा रही है, को उत्तराखण्ड शासन वित्त 174877/XXVII(7)/E-42461/2022, देहरादून दिनांक 13 दिसम्बर 2023 के अनुसार वाहन भत्ते दिये जाने पर प्रतिमाह रू0 24000.00 (रू0 चौबीस हजार मात्र) व्यय होगा का प्रस्ताव प्रबन्ध कारिणी के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया।

प्रबन्ध कारिणी द्वारा विचार-विमर्श उपरान्त निर्देशित किया गया कि उत्तराखण्ड शासन वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-174877/XXVII(7)/E-42461/2022, देहरादून दिनांक 13 दिसम्बर 2023 बोर्ड में लागू नहीं होता है।

एजेण्डा बिन्दुः 15 उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड में 74 स्वीकृत पदों के सापेक्ष उप निदेशक के रिक्त पद पर पदोन्नति के सम्बन्ध में।

निदेशक/सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में बोर्ड के वर्ग "ख" के पद पर एक मात्र विभागीय कार्मिक श्री अनिल कुमार खोलिया, वित्त अधिकारी के पद

पर कार्यरत है, जिन्हें वर्ग "ख" के पद पर कार्य करते हुए 07 वर्ष पूर्ण हो चुके है जिनकी सेवा विनियमावली में दी गयी व्यवस्था के आधार पर उप निदेशक के पद पर विभागीय पदोन्नति किया जाना प्रस्तावित है, का प्रस्ताव प्रबन्ध कारिणी के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया।

प्रबन्ध कारिणी द्वारा विचार–विमर्श उपरान्त उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड की सेवा विनियमावली में दी गयी व्यवस्थानुसार उपरोक्त बिन्दु पर अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा बिन्दुः 16 प्रबन्ध कारिणी की 42वीं बैठक में लिये गये निर्णय में प्रबन्धकों का मानदेय 50,000.00 प्रतिमाह करने एवं बागान प्रबन्धक एवं प्रबन्धक विपणन के पद को संविदा में नियुक्ति करने हेतु विज्ञप्ति निकालने से पूर्व शासन से अनुमोदन के सम्बन्ध में।

निदेशक/सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि प्रबन्ध कारिणी के 42वीं बैठक दिनांक 29 जुलाई 2022 को बोर्ड के संविदा में कार्यरत प्रबन्धक स्तर के कार्मिकों को प्रतिमाह 50,000.00 प्रतिमाह किये जाने का अनुमोदन किया था जिसके अनुपालन में शासन को पत्र प्रेषित किया गया है शासन से प्राप्त निर्देशों पर बोर्ड द्वारा आर्थिक सुधार परियोजना का प्रस्तुतीकरण प्रेषित किया है जिस पर दिनांक 04 मार्च 2024 को शासन के वित्त विभाग से बैठक उपरान्त निर्देशित किया गया है कि विभागीय नीति पालिसी के रूप में तैयार कर प्रस्तुत करें। 2–प्रबन्धक बागान एवं प्रबन्धक विपणन के पद को संविदा में नियुक्ति करने हेतु विज्ञप्ति निकालने का प्रस्ताव को शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया शासन द्वारा बागान प्रबन्धक एवं प्रबन्धक विपणन के रिक्त पदों के सापेक्ष आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्ति/तैनाती के सम्बन्ध में सूचना चाही गयी जिसके अनुपालन में शासन को सूचनायें अंकित कर पत्र प्रेषित किया गया है। का प्रस्ताव प्रबन्ध कारिणी के संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

प्रबन्ध कारिणी द्वारा विचार–विमर्श उपरान्त निर्देशित किया कि शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुए अतिशीघ्र कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाय।

एजेण्डा बिन्दुः 17 जनपद चम्पावत के अन्तर्गत चाय बागान सिलिंगटाक में निर्मित टी कैफे व हटों से प्राप्त आय का 10 प्रतिशत वन पंचायत सिलिंगटाक द्वारा मॉग के सम्बन्ध में।

निदेशक/सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद चम्पावत के अन्तर्गत सिलिंगटाक वन पंचायत की 19 है0 भूमि को वर्ष 2000 में बोर्ड द्वारा लीज पर लेकर चाय बागान विकसित किया गया है। वन पंचायत से लीज पर ली गई उक्त भूमि पर बोर्ड द्वारा चाय बागान विकसित करने के साथ–साथ पर्यटन विभाग चम्पावत के सहयोग से 01 टी कैफे एवं 03 टूरिस्ट कॉटेज निर्मित किये गये है, जिन्हें बोर्ड द्वारा निविदा के माध्यम से मासिक लीज किराये के आधार पर संचालित किया जा रहा है एवं पर्यटकों से निर्धारित शुल्क प्राप्त कर बागान भ्रमण करवाया जा रहा है, बोर्ड द्वारा टी टूरिज्म से प्राप्त आय को
देखते हुए सरपंच, वन पंचायत सिलिंगटाक द्वारा बोर्ड से टी कैफे व हटों से प्राप्त आय में 10 प्रतिशत के हिस्से की मॉग की गयी। जबकि चाय विकास बोर्ड द्वारा प्रतिवर्ष वन पंचायत भूमि का लीज किराया देने के साथ–साथ वन पंचायत क्षेत्र के स्थानीय लोगो को रोजगार भी उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन वन पंचायत की मॉग को देखते हुए उचित होगा कि टी कैफे एवं 03 टूरिस्ट कॉटेज से प्राप्त वार्षिक आय से वन पंचायत को वर्ष में 5 प्रतिशत तक का भुगतान किया जा सकता है, क्योंकि पूर्व में वन पंचायत के

साथ सम्पादित अनुबन्ध में सिर्फ चाय बागान लगाने हेतु अनुबन्ध सम्पादित किया गया है का प्रस्ताव प्रबन्ध कारिणी के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

प्रबन्ध कारिणी द्वारा विचार–विमर्श उपरान्त सरपंच, वन पंचायत सिलिंगटाक द्वारा बोर्ड से टी कैफे व हटों से प्राप्त आय का 10 प्रतिशत वार्षिक रूप से भुगतान करने का अनुमोदन किया गया, जिसका आदेश आदर्श चुनाव आचार सहिता की समाप्ति के उपरान्त करने हेतु निर्देशित किया गया।

एजेण्डा बिन्दुः 18 बोर्ड में सात साल पूर्ण कर चुके कास्तकारों के बागानों से उत्पादित हरी पत्ती के प्रति किलोग्राम निर्धारित मूल्य रू0 40.00 का 20 प्रतिशत की दर से भूमि के लीज किराये के रूप में कास्तकारों को भुगतान के सम्बन्ध में।

निदेशक/ सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि चाय विकास बोर्ड द्वारा पूर्व 41वीं बैठक दिनांक 29 जून 2022 को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जिस पर प्रबन्ध परिषद द्वारा सहमति व्यक्त की गयी थी पर त्रुटिवश उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन निर्णय पर नही आ पाया था उक्त के आधार पर चाय बागानों की नीति 2023 के अनुसार सात साल पूर्ण कर चुके कास्तकारों के बागानों से उत्पादित हरी पत्ती के प्रति किलोग्राम निर्धारित मूल्य रू0 40.00 (रू0 चालीस मात्र) का 20 प्रतिशत की दर से भूमि के लीज किराये के रूप में कास्तकारों को भुगतान का प्रावधान किया गया है। बोर्ड द्वारा कास्तकारों की मांग को देखते हुए लीज किराया का भुगतान किया जा रहा है का प्रस्ताव प्रबन्ध कारिणी के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

प्रबन्ध कारिणी द्वारा विचार–विमर्श कर प्रबन्ध कारिणी की 41वीं बैठक के मद के अनुसार चाय बागानों की नीति 2023 के अनुसार सात साल पूर्ण कर चुके कास्तकारों के बागानों से उत्पादित हरी पत्ती के प्रति किलोग्राम निर्धारित मूल्य रू0 40.00 (रू0 चालीस मात्र) का 20 प्रतिशत की दर से भूमि के लीज किराये के रूप दिये जाने का अनुमोदन किया गया तथा अतिशीघ्र बोर्ड की पालिसी सचिव कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग एवं वित्त विभाग को परीक्षण हेतु प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।

एजेण्डा बिन्दुः 19 बोर्ड में विभागीय संविदा में कार्यरत कार्मिकों को शासन के शासनादेश संख्या 311/XVII-C-1/2024-097)/2004-TC-2 सैनिक कल्याण विभाग देहरादूनः दिनांक 26 फरवरी 2024 के आधार पर वेतन वृद्धि दिये जाने के सम्बन्ध में।

निदेशक/सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि चाय बोर्ड में वर्तमान में विभागीय संविदा से 46 कार्मिक कार्यरत है। जिन्हें सैनिक कल्याण विभाग देहरादून के शासनादेश (उपनल) के अनुसार दिये गये वर्गीकरण में निर्धारित वेतन के आधार पर शासन के पत्र संख्या 548/XVI-2/12/20(5)/2009 दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 से संविदा कार्मिकों को भुगतान किया जा रहा है। शासन के शासनदेश संख्या 311/XVII-C-1/2024-097)/2004-TC-2 सैनिक कल्याण विभाग देहरादूनः दिनांक 26 फरवरी 2024 के आधार पर वेतन वृद्धि की गयी है जिस क्रम में विभागीय संविदा से 46 कार्मिक को भी भुगतान किये जाने पर रू0 51208.00 (रू0 इकावन हजार दो सौ आठ मात्र) का प्रतिमाह व्यय भार होगा। बोर्ड में 46 संविदा कार्मिकों को शासन के शासनदेश संख्या 311/XVII-C-1/2024-097)/2004-TC-2 सैनिक कल्याण विभाग देहरादूनः दिनांक 26 फरवरी 2024 से निर्धारित मानदेय के आधार पर दिये जाने का प्रस्ताव प्रबन्ध कारिणी के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

प्रबन्ध कारिणी द्वारा विचार–विमर्श उपरान्त शासन के शासनदेश संख्या 311/XVII-C-1/2024-

097)/2004-TC-2 सैनिक कल्याण विभाग देहरादून, दिनांक 26 फरवरी, 2024 के आधार पर बोर्ड में विभागीय संविदा पर कार्यरत 46 कार्मिकों को वेतन वृद्धि का लाभ दिये जाने का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा बिन्दुः अन्य बिन्दु– अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि महानिदेशक, कृषि एवं उद्यान को बोर्ड का सदस्य नामित किया जाय एवं बोर्ड के जिन सदस्यों द्वारा बैठकों में प्रतिभाग नहीं किया जा रहा है, के स्थान पर नाम सहित दूसरे सदस्यों को नामित करने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाय।

अन्त में प्रबन्ध कारिणी के समस्त सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक का समापन किया गया।

अनुमोदित,

Signed by Anand Bardhan
Date: 26-04-2024 10:26:42

(आनन्द वर्द्धन)
अध्यक्ष,
उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड

(महेन्द्रपाल)
निदेशक / सदस्य सचिव

कार्यालय– उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड, अल्मोड़ा ।

पत्रॉक 65 / 1–6(44वीं) / 2024, दिनॉकः 03 ~~अप्रैल~~ मई, 2024

प्रतिलिपि– समस्त प्रबन्ध कारिणी के सदस्यों को सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

(महेन्द्रपाल)
निदेशक / सदस्य सचिव